राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: ict.rcse@gmail.com

क्रमांकः–रामाशिप / जय / ICT /2016 | 4500 दिनांक 23/06/2016

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक,
राउमावि / रामावि / एसवीजीएमएस / उत्कृष्ट विद्यालय,
समस्त जिले।

परिपत्र

विषय :– संस्था प्रधान के साथ सैटेलाईट माध्यम से प्रत्यक्ष संवाद दिनांक 25.06.2016 बाबत।

शैक्षणिक सत्र 2016–17 प्रारम्भ होने के अवसर पर राज्य के राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को विद्यालयों में अकादमिक स्तर उन्नयन हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने की व्यूह रचना निर्माण पर मार्गदर्शन व संबलन प्रदान करने तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के प्रभावपूर्ण ढंग से सफल क्रियान्वयन हेतु उनका आमुखीकरण करने के लिए दिनांक 25.06.2016 को सैटेलाईट प्रसारण के माध्यम से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया जा रहा है।

संभागी – समस्त राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक , विवेकानन्द मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय माध्यमिक , उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मुख्य अध्यापक आईसीटी तृतीय चरण के विद्यालयों में स्थापित सैटेलाईट प्रसारण केन्द्रों निर्धारित समय 10 बजे उपस्थित रहेंगे।

संवाद बिन्दु – प्रवेशोत्सव व नामांकन वृद्धि, व्यावसायिक शिक्षा, मुख्यमंत्री जनसहभागिता योजना, बालिका छात्रावास, आईसीटी योजना, शालादर्पण, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना , एसआईक्यूई, विद्यालय समन्वयीकरण, उत्कृष्ट विद्यालय, आदर्श विद्यालय संचालन व विद्यालयों का भौतिक विकास आदि ।

संस्था प्रधानों हेतु निष्पादन लक्ष्य – सैटेलाईट प्रसारण माध्यम से प्रत्यक्ष संवाद हेतु निर्धारित संवाद बिन्दुओं के संदर्भ में समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इस **कार्यक्रम से पूर्व** विद्यालय स्तर पर निम्न दायित्वों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें :–

1. शाला दर्पण :–

i. समस्त नामांकित विद्यार्थियों का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रपत्र में शतप्रतिशत भरें।
ii. समस्त कार्यरत स्टॉफ के विस्तृत कार्मिक विवरण प्रपत्र की पूर्ति फोटो सहित, शाला दर्पण पोर्टल पर पूर्ण करें।
iii. नवीन प्रपत्र में एसडीएमसी मॉड्यूल की पूर्ति पूर्ण कर ली जावे।
iv. कार्यग्रहण करने वाले व कार्यमुक्त होने वाले समस्त कार्मिकों की सूचना अद्यतन हो यह सुनिश्चित कर लें।

2. प्रवेशोत्सव :–

i. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दूसरे चरण में नामांकन वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए एसडीएमसी सदस्यों के साथ मिलकर सघन प्रयास करें व प्रत्येक संस्था प्रधान कक्षावार नामांकन लक्ष्य को प्राप्त करें (कक्षा 1–5 हेतु न्यूनतम 150, कक्षा 6–8 हेतु न्यूनतम 105, कक्षा 9–10 हेतु न्यूनतम 100, कक्षा 11–12 हेतु न्यूनतम 100 विद्यार्थियों का नामांकन लक्ष्य)
ii. सैटेलाईट प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम के दौरान सत्र 2016–17 हेतु कक्षावार आवंटित न्यूनतम नामांकन लक्ष्य बाबत जिलेवार विश्लेषण किया जायेगा तथा लक्ष्य प्राप्ति से वंचित स्कूलों को रेखांकित किया जाएगा।
iii. समस्त नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि शालादर्पण पर तत्समय ही करें।

3. **एसडीएमसी :–**

i. एसडीएमसी व पीटीए गठन, पुनर्गठन व बैठकों से संबंधित नवीन दिशा निर्देश इस माह के अंत तक निदेशालय स्तर से जारी कर दिए जाऐंगे, समस्त संस्था प्रधान उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

4. **अधिगम स्तर के लक्ष्यों का निर्धारण व प्राप्ति :–**

i. प्रत्येक कक्षा हेतु अधिगम स्तर के लक्ष्य तय किये जावें व कक्षा 1–5 हेतु प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर योगात्मक मूल्यांकन के परिणामों की मॉनिटरिंग व समीक्षा, कक्षा 6–12 हेतु सामयिक परख, आंतरिक मुल्यांकन, गृहकार्य जांच, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के परिणामों की समीक्षा व मॉनिटरिंग संस्था प्रधान स्तर पर की जावे।

ii. संस्था प्रधान सुनिश्चित करे कि प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम 75 प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा अनुरुप उच्च अधिगम स्तर प्राप्त करें।

iii. अकादमिक क्षेत्र में उन्नयन हेतु विद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों के मध्य सतत् संवाद सुनिश्चित करें व अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया की उत्कृष्टता के लिए संस्था प्रधान प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा की विजिट तय कर शिक्षण विधा के निरीक्षण, शिक्षकों के संबलन को सुनिश्चित करे।

iv. प्रति माह शिक्षकों के साथ औपचारिक अकादमिक बैठक तय करे जिसमें शैक्षणिक स्तर पर कमतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की पहचान की जाए व निदानात्मक उपायों को तय कर कक्षा शिक्षण व पृथक उपचारात्मक शिक्षण की व्यूह रचना बनाई जाए।

5. **आईसीटी :–**

i. आईसीटी प्रथम व द्वितीय चरण की कम्प्यूटर लैब को दुरुस्त करवाते हुए पूर्ण संचालन सुनिश्चित करें। कम्प्यूटर लैब का कोई भी उपकरण लैब से बाहर किसी अन्य कक्ष में या अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जाए।

ii. तृतीय चरण अंतर्गत माह जून 2016 से प्रारंभ होने वाले त्रैमास से शालादर्पण पर ऑनलाईन परफॉरमेन्स रिपोर्ट जारी की जा रही है। निविदा पत्र को ध्यान पूर्वक पढें व जारी किये जाने वाले निर्देशों की पालना करते हुए परफॉरमेन्स रिपोर्ट की प्रति त्रैमास फिडिंग सुनिश्चित करें।

iii. आईसीटी चतुर्थ चरण अंतर्गत विद्यालय स्तर के कार्य तत्काल पूर्ण कर लेवें व निर्देशानुसार सामग्री प्राप्त कर संस्था प्रधान की देखरेख में इंस्टालेशन पूर्ण करावें।

iv. तृतीय चरण हेतु कार्यशील MIS Website (www.rajictcsl.co.in & www.rajictilfs.co.in) का उपयोग अवश्य करे । MIS Website में दर्ज प्रकरण व रिपोर्ट के आधार पर ही विद्यालय के निष्पादन स्तर का आंकलन किया जाएगा।

इस अकादमिक सत्र के प्रारंम्भ से ही राज्य मुख्यालय पर केन्द्रीकृत स्वरुप में प्रत्येक कक्षा के अधिगम स्तर व शैक्षणिक परिणामों पर नजर रखी जाएगी व सघन मॉनिटरिंग करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किए जायेंगे। अतः समस्त संस्था प्रधान संवेदनशीलता पूर्वक निर्देशों की पालना करें और विद्यालय के अकादमिक उन्नयन के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का सतत कार्य करें।

(जस्सा राम चौधरी) 27/6/16
अतिरिक्त आयुक्त